

असाधारए EXTRAORDINARY

भाग I--- Section 2 PART I--- Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई बिरली, बृहस्पतिबार, अप्रैल 23, 1987/बँगाख 3, 1909 No. 9] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 1987/VAISAKHA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संबन्धन को रूप में रक्षा जा सको

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भुतल परिवहन मंद्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 23 म्रप्रैल, 1987

ग्रधिसूचना

फा. सं. ए. 12022/8/86 पी ई-I:---केन्द्रीय सरकार, महापसन न्यास मधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) ढारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बी. के. श्रीवास्व, भा.

130 GI/87

प्र. से. (पंजाब 77) को 1 अप्रेंल, 1987 से 31 मई, 1991 अथवा ग्रगले आदिश होने तक, इनमें से जो भी पहुले हो तब तक के लिए कान्डला पत्तन-न्यास में उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Port Wing)

New Delhi, the 23rd April, 1987

NOTIFICATION

F. No. A. 12022/8/86 PE.I. In exercise of the powers conferred by clause (b) of the Sub Section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoint Shri B. K. Srivastava, IAS (Pb:77) as Deputy Chairman, Kandla Port Trust, Kandla with effect from the 1st April, 1987 to 31st May, 1991 or until further orders, whichever is carlier.

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.